क्या पहली अप्रैल को पूरे देश को मूर्ख बनाया जा रहा है?

1 अप्रैल 2010 को देश में तथाकथित 'मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून, 2009' लागू हो रहा है। यह बताया जा रहा है कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। सरकारी दावा है कि इससे देश के सारे बच्चों को शिक्षित करने का काम हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? आइए, विचार करें –

- इस कानून ने 6 साल से कम उम्र के बच्चों को संतुलित आहार, स्वस्थ बचपन और पूर्व–प्राथमिक शिक्षा (नर्सरी, के.जी.) का संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार छीन लिया है। जब बुनियाद ही कमजोर होगी तो यह कानून आगे क्या देने का दावा कर रहा है? कानून में आठ साल की शिक्षा (1–8 कक्षा तक) के अधिकार का जो ढोंग किया है उसको हम नीचे उजागर कर रहे हैं। 8वीं के बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक की माध्यमिक शिक्षा का अधिकार न देकर इस कानून ने गरीब बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और कैरियर के रास्ते बंद कर दिए हैं?
- इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में ही पढ़ाया जाएगा। कानून में दिए गए मानदंडों में भी केवल उन विकलांग बच्चों के लिए नाममात्र प्रावधान है जो चलफिर नहीं सकते। दृष्टि–बाधित, मूक–बधिर एवं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को पूरी तौरपर नजरंदाज़ किया गया है। सरकार का इरादा साफ है कि ऐसे बच्चों को उनके घरों में ही रहने को मजबूर किया जाएगा और उन्हें एन.जी.ओ. के हवाले करके सरकार अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेगी।
- इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि सब बच्चों के मुफ्त शिक्षा दी जाएगी (देखिए धारा 3) वरन् जो लिखा है उसके मायने हैं कि ट्यूशन फीस के अलावा अन्य प्रकार के शुल्क लेने पर कोई मनाही नहीं है। ऐसी अजीबोगरीब 'मुफ्त' शिक्षा का भी अधिकार उन बच्चों का नहीं रहेगा जो सरकारी स्कूलों की बदहाली के चलते निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं (देखिए धारा 8क)। अगर निजी स्कूलों में बच्चों को पहले की तरह ही फीस देनी पड़ी तो क्या यह कानून बच्चों के साथ किया गया भद्दा मजाक नहीं है?
- इस कानून की शर्तें पूरी करने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति तो होगी, किन्तु वे अस्थायी, अप्रशिक्षित व ठेके पर नियुक्त 'पैरा–शिक्षक' ही होंगे। इस कानून में 'पैरा–शिक्षक' (जैसे संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, शिक्षा मित्र, शिक्षा उपासक आदि) लगाने पर कोई रोक नहीं है। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों और सस्ते निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की पढ़ाई 'राम–भरोसे' रहेगी। क्या स्थायी, प्रशिक्षित, पर्याप्त वेतन वाले शिक्षकों का कैडर बनाए बगैर देश के बच्चों की शिक्षा ठीक से हो सकेगी?
- इस कानून में शिक्षकों की योग्यता, वेतन और सेवा शर्तें जानबूझकर तय नहीं की गई हैं ताकि बाद में सरकार को मनमाने ढंग से इसे तय करने की छूट रहे। इस साल पेश किए गए बजट को देखकर तो साफ हो गया है कि सरकारी स्कूलों में 'पैरा–शिक्षक' नियुक्त होते रहेंगे और निजी स्कूलों में काफी कम वेतन पर नियुक्त हुए शिक्षकों का शोषण जारी रहेगा।
- इस कानून में विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात और कमरों का मानदंड इसप्रकार तय किया गया है कि न्यूपा (नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एज्युकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर साफ है कि लगभग 40 फीसदी प्राथमिक स्कूल (60 से कम नामांकन संख्या वाले) केवल दो शिक्षक–दो कमरे वाले बने रहेंगे। यानी इन स्कूलों में एक शिक्षक द्वारा एक ही कमरे में एक से अधिक कक्षाएं पढ़ाने की परिपाटी बदस्तूर जारी रहेगी। ठीक यही हाल लगभग 30 फीसदी (90 या 120 से कम नामांकन संख्या वाले) और स्कूलों का भी रहेगा। यानी आगे भी दो–तिहाई से अधिक स्कूलों में गरीब बच्चों के साथ दो या तीन कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने का मजाक जारी रहेगा।

- इस कानून में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना, पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों और 'आपदा राहत' के नाम पर पढ़ाने के अलावा अन्य कामों पर लगाने पर भी रोक नहीं लगाई है। यानी निजी स्कूलों के बच्चों को रोज पढ़ाया जाएगा जबकि गरीब बच्चों की पढ़ाई पहले की तरह सरकारी शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कामों में लगाए रखने के कारण प्रभावित होती रहेगी। यानी सरकारी स्कूलों के बच्चों के खिलाफ भेदभाव जारी रहेगा।
- इस कानून में निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर कोई रोक नहीं है। यानी वे मनमानी फीस बढ़ाते रहेंगे। इन स्कूलों के प्रबंधन में अभिभावकों या समाज की किसी तरह की भागीदारी या सरकार द्वारा नियमन को भी जरुरी नहीं रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने तो हाल में इस आशय की घोषणा करते हुए यह भी कह दिया है कि इस कानून के लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों के निजी स्कूलों की फीस व प्रबंधन पर निगरानी रखने वाले मौजूदा कानून भी रद्द हो जाएंगे यानी शिक्षा और अधिक महंगी हो जाएगी।
- इस कानून में शिक्षा में बढ़ती हुई गैरबराबरी और भेदभाव को रोकने की कोई बात नहीं है। उल्टे यह कानून सरकार को उसे और बढ़ावा देने की पूरी छूट देता है। इससे सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब बच्चे ही रह जाएंगे, और उनकी उपेक्षा व दुर्दशा और बढ़ेगी। इस कानून के बाद नाम के लिए तो हर बच्चे को स्कूल की शिक्षा पाने का अधिकार होगा, किन्तु गरीब बच्चों के लिए निहायत घटिया और अधकचरी शिक्षा ही होगी (जिसमें 5वीं और 8वीं में आ जाने पर भी बच्चे को न्यूनतम पढ़ना–लिखना आए, यह भी सुनिश्चत करने की जवाबदेही से सरकार कानून में बरी हो गई।)
- इस कानून में निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने (उनकी ट्यूशन फीस सरकार देगी) का बहुत प्रचार किया जा रहा है। किन्तु कानून चतुराई से मौन है कि निजी स्कूलों में ट्यूशन के अलावा जो नाना प्रकार की अन्य फीसें ली जाती हैं वे इस प्रावधान के तहत चुने गए गरीब बच्चे कैसे देंगे। कानून जानबूझकर इस पर भी मौन है कि 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को किस विधि से चुना जाएगा? यानी इसका दारोमदार पूरी तरह निजी स्कूलों पर छोड़ दिया गया है ताकि वे मनमानी कर सकें। सबसे बड़ा सवाल तो है कि जो बच्चे इस प्रावधान के तहत चुने जाएंगे क्या उन्हें उम्दा शिक्षा मिल पाएगी? इसकी संभावना काफी कम है चूंकि ज्यादातर निजी स्कूल घटिया स्कूल हैं। ऐसा ही एक और सवाल। जो बच्चे इस प्रावधान के बाहर रह जाएंगे (लगभग तीन–चौथाई से अधिक बच्चे) उनका क्या होगा? उनके हिस्से में वही घटिया, अधकचरी नाममात्र की शिक्षा रहेगी। वैसे भी 8वीं कक्षा के बाद इन बच्चों को सड़क पर खड़ा कर दिया जाएगा चूंकि उसके बाद कानून में निजी स्कूलों की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी।
- इस कानून में 8वीं तक की पढ़ाई बगैर किसी बोर्ड परीक्षा के पूरी करने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि सरकारी और सस्ते निजी स्कूलों में आधी–अधूरी शिक्षा के बाद भी बच्चों को अगली कक्षा में धकाया जाता रहेगा और उन्हें 8वीं की पढ़ाई पूरी करने का प्रमाणपत्र मिल जाएगा जिससे आगे की कक्षाओं में प्रवेश पाने में कोई मदद नहीं मिलेगी।
- इस कानून में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान तभी किया जाएगा जब वह सरकार के लिए 'व्यवहारिक' होगा। वैसे भी एक खास वर्ग के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की गुंजाईश छोड़ दी है। इस तरह देश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था पूर्ववत चालू रहेगी।
- इस कानून में शिक्षा के बढ़ते धंधे और मुनाफाखोरी पर रोक लगाने की कोई मंशा नहीं है। उल्टे सरकार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) के नाम पर सरकारी भूमि, पैसा और अन्य प्रकार की मदद (प्रत्यक्ष और छिपी रियायतें समेत) देकर पूंजीपतियों, एन.जी.ओ. व धार्मिक संगठनों को इस धंधे में बुला रही है और उन्हें मनमानी फीस ऐंठने, कम वेतन पर शिक्षकों को नियुक्त करने और विभिन्न प्रकार के करों से छूट देकर बढ़ावा दे रही है।

- बी.एड. और डी.एड. में भी जिस तरह से महंगे निजी कॉलेजों की बाढ़ आई है, लूट एवं धांधली मची है, बिना किसी पढ़ाई के डिग्री बांटी जा रही है, उससे तैयार किए गए शिक्षक आखिर क्या पढ़ाएंगे? कानून इस सवाल पर चुप है।
- उच्च शिक्षा के निजीकरण व बाजारीकरण और कोचिंग का बाजार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने 11वीं–12वीं में विज्ञान व गणित का समान पाठ्यक्रम व उसके बाद तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मेनेजमेंट आदि) के लिए समान प्रवेश परीक्षा की घोषणा कर दी है। इससे तय है कि एक ओर कोचिंग का बाजार 9वीं–10वीं से ही तेज रफ्तार से बढ़ेगा और दूसरी ओर गरीब वर्ग के बच्चे बढ़ते क्रम में आगे की शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। यह कानून बहुपरती व भेदभावपूर्ण स्कूल व्यवस्था को बरकरार रखेगा जिसमें समान पाठ्यक्रम व समान प्रवेश परीक्षा की कोई जगह नहीं है।
- सरकार को समान पाठ्यक्रम व समान प्रवेश परीक्षा लागू करने का नैतिक अधिकार तभी मिलता है जब वह इस कानून की जगह समान स्कूल प्रणाली स्थापित करने का कानून लाए जिसमें हरेक स्कूल (सरकारी या निजी) सच्चे मायने में पड़ोसी स्कूल होगा जहां अमीर–गरीब सभी बच्चे बगैर किसी भेदभाव के एक ही छत के नीचे पढ़ पाएंगे। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जिन भी देशों ने अपनी पूरी आबादी को शिक्षित किया है, वे ऐसा किसी–न–किसी तरह की समान स्कूल प्रणाली के दम पर ही कर पाए हैं। किन्तु यह कानून इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाए देश को उल्टी दिशा में ले जाता है।
- देश में शिक्षा का बाजार बढ़ाने के मकसद से विदेशी विश्वविद्यालयों को भी इजाजत देने के लिए संसद में एक नया विधेयक लाया जा रहा है जिसके चलते उच्च शिक्षा में लूट और मुनाफाखोरी और बढ़ेगी और उच्च शिक्षा की बदहाली भी बरकरार रहेगी।
- एक और खतरा। केंद्रीय सरकार ने उच्च एवं प्रोफ़ेशनल शिक्षा को दुनिया के बाजार में बिकाऊ माल बनाने के इरादे से विश्व व्यापार संगठन के तहत गैट्स (जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज़) के पटल पर पेश कर दिया है। यदि इसको तुरंत वापस नहीं लिया गया तो वह अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता बन जाएगी यानी फिर विदेशी संस्थानों को भारतीय संस्थानों के बराबर (या बढ़चढ़कर भी) सुविधाएं देना हमारी बाध्यता हो जाएगी। इसके अलावा सरकार पर सभी तरह के विदेशी संस्थानों को कानूनी संरक्षण देने की भी बाध्यता रहेगी।

यह साफ है कि 1 अप्रैल 2010 से लागू होनेवाला तथाकथित शिक्षा अधिकार कानून एक धोखा है। इसकी आड़ में सरकार देश की आम जनता को झूठमूठ समझा कर शिक्षा का जबरदस्त बाजार एवं धंधा बढ़ाने का काम कर रही है। इससे देश के साधारण बच्चे शिक्षा से वंचित और कुंठित होंगे। बच्चों की आत्महत्याएं और बढ़ेंगी। देश के नौजवान और ज्यादा बेरोजगारी, गैरबराबरी, हिंसा एवं उग्रवाद की ओर बढ़ने को मजबूर होंगे। क्या हम ऐसा ही भारत चाहते हैं?

आइए, हम सब मिलकर इस तथाकथित शिक्षा अधिकार कानून और संसद में पेश होनेवाले विदेशी विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक दोनों का विरोध करें। शिक्षा के बाजारीकरण और व्यापार के खिलाफ आवाज उठाएं। देश के हर बच्चे को अच्छी और समान अवसर वाली शिक्षा का हक मिले और सरकारें अपनी संवैधानिक जवाबदेही पूरी करें, इसके लिए हम संघर्ष करें।

एक अप्रैल 2010 को पूरे देश में अपने–अपने स्तर पर सरकार की इस धोखाधड़ी के विरोध में जनचेतना जगाने के कार्यक्रम करें।

अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच
306, प्लैज़ेंट अपार्टमेंट्स, बाज़ारघाट, हैदराबाद 500 004
फ़ोन – (040) 2330–5266; मो.–09440980396 / 09431102680 ईमेल – aifrte.secretariat@gmail.com